भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 127
28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा महाविद्यालयों की रेटिंग करने संबंधी मानदंड

***127. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की रेटिंग करने के लिए सरकारी और निजी संगठनों द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने देश में भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों की रेटिंग करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के साथ करार किया है;
(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकारी रेटिंग से छात्रों को सही चिकित्सा महाविद्यालय चुनने और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा उच्च शुल्क लेकर छात्रों का शोषण करने से रोकने में किस प्रकार मदद मिलेगी, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

28 जुलाई, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 127 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के अनुसार, चिकित्सा मूल्यांकन और श्रेणी निर्धारण बोर्ड (एमएआरबी) को एनएमसी द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुपालन के आधार पर चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और श्रेणी निर्धारण का उत्तरदायित्व दिया गया है।

एनएमसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन और श्रेणी निर्धारण के लिए एमएआरबी और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत, क्यूसीआई पारस्परिक सहमति से तैयार मानकों और दिशानिर्देशों के आधार पर पूरे भारत में मेडिकल कॉलेजों का व्यापक मूल्यांकन और श्रेणी-निर्धारण करती है। इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

i. शैक्षणिक मानकों का संवर्द्धन
ii. उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाना
iii. चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
iv. निरंतर गुणवत्ता में सुधार लाना
v. मानकीकरण और मानकों से सुसंगतता सुनिश्चित करना
vi. विनियामक निर्णय-निर्धारण में सहयोग करना
vii. पारस्परिक सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना
viii. आम जन का विश्वास बढ़ाना

मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग से छात्रों को दाखिला लेने संबंधी सुविज्ञ निर्णय लेने में निम्नलिखित के अनुसार मदद मिलेगी:

i. मेडिकल कॉलेजों के भिन्न-भिन्न रेटिंग ग्रेड।
ii. एनएमसी द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों के अनुपालन में मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक रेटिंग।
iii. छात्र और अभिभावकगण इन रेटिंग्स को देखेंगे और एनएमसी द्वारा सृजित जागरूकता/ व्यवस्थाओं के अनुसार सुविज्ञ निर्णय लेंगे।

*****